सिमडेगा ज़िला में अखबारों में प्रेषित बच्ची के भूख से मौत संबंधी की गई जाँच प्रतिवेदन

अध्यक्ष झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिमडेगा जिलान्र्गत प्रखण्ड जलडेगा के कारीमाटी ग्राम पतिअम्बा पंचायत का दिनांकः– 06.10.2017 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में बच्ची के भूखजनित बीमारी से मौत, प्रकाशित समाचार तथा प्राप्त शिकायत पर जाँच किया गया। जाँच में राज्य खाद्य आयोग के दो सदस्य डॉ0 रंजना कुमारी तथा श्री हलधर महतो भी टीम के रुप में उपस्थित थे। जाँच दल के साथ अपर समाहर्त्ता सह **D.G.R.O**, जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जलडेगा तथा मार्केटिंग ऑफिसर भी उपस्थित थे।

जाँच दल के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम **NFSA** के निम्न बिन्दुओं पर जाँच किया गया।

परिवार की आर्थिक स्थितिः–

प्राप्त जानकारी एवं पूछताछ के आधार पर पतिअम्बा पंचायत के इस परिवार की मुखिया बालमति देवी जो ततार्ई उराँव की माँ हैं, समेत बहू कोइली देवी तथा उनके दो बच्चियों तथा एक बच्चा है, जिसमें से संतोषी, उम्र 11 वर्ष का तथाकथित भूख से मौत की सूचना प्राप्त हुई थी। इस परिवार के संबंध में सूचना दी गई कि इनके पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण राशन कार्ड से नाम काट दिया गया था, जिसके फलस्वरुप गत वर्ष 2016 से उनका राशन उक्त कार्ड से मिलना स्थगित था। **MIS** से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उनका **कार्ड सं0 – 202004278514** बालमति देवी के नाम से था तथा परिवार के सदस्यों की **सं0 – 6** थी। इसका **Priority Household Card** सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आलोक में दिया गया था। (**MIS** का रिपोर्ट संलग्न है) कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि राशन कार्ड के सूची में इनका नाम दर्ज तो था, किन्तु भौतिक रुप से इन्हें कार्ड प्राप्त नहीं था।

इस परिवार की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए सुदामा कच्छप जो सम्प्रति पंचायत के **Para** शिक्षक हैं के द्वारा एक राशन कार्ड की प्रति जो उनके नाम से मेल खाता था, झारखण्ड सरकार के आहार वेबसाइट से निकालकर उपलब्ध कराया गया था जो वास्तव में उनका राशन कार्ड नहीं था। इसी कार्ड के आधार पर माह जनवरी 2016 से फरवरी 2017 तक उन्हें राशन प्राप्त हो रहा था, जिसके बावजूद पर किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई (इस कार्ड की छाया प्रति संलग्न है)।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका संज्ञान राशन डीलर, मुखिया तथा वार्ड सदस्य को था, किन्तु गरीब जानकर उसे राशन राशन दिया जा रहा था। जैसा कि जन वितरण प्रणानी के दुकानदार द्वारा टीम को सूचना दी गई किन्तु फरवरी में **E Pos** मशीन जो सम्प्रति आधार **linked** था, के लागू किये जाने से इनका राशन बन्द हो गया। तदोपरान्त यह परिवार किसी तरह से चावल आदि उपलब्ध कराते हुए गुजारा करता था, किन्तु इसकी स्पष्ट सूचना किसी स्तर से प्राप्त नहीं हुई। इस बीच में मृतक संतोषी एक विशुन बड़ाईक के घर पर बकरी चराती थी तथा उसी के घर में भोजन किया करती थी। इस तरह गाँववालों के **Statement** के अनुसार उसका स्कूल जाना बन्द था, अतः स्कूल में **Midday Meal** भी (छुट्टियों के कारण) नहीं प्राप्त होना सही प्रतीत नहीं होता है।

संलग्न एक पत्र अवलोकनीय है जिससे स्पष्ट होता है कि परिवार द्वारा **दिनांक 01.09.2017** को जिला आपूर्ति पदाधिकारी सिमडेगा को एक आवेदन दिया गया था, जिसका प्राप्त रसीद भी है जिसमें उनके द्वारा राशन कार्ड को पुनः चालू करने हेतु आग्रह किया गया है। इस पर परिवार की स्थिति को देखते हुए भी तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय कार्यकर्ता तारामणि साहू द्वारा टीम को बताया गया

कि **दिनांकः– 21.08.2017** के जनता दरबार में उनके द्वारा उपायुक्त सिमडेगा के संज्ञान में परिवार की दयनीय स्थिति लाई गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका आवेदन भी संलग्न है।

इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य आयोग की टीम ने उपस्थित ग्रामीणों एवं पीड़ित परिवार से पूछताछ की जिनका बयान निम्न हैः–

श्रीमती गीता देवी पत्नी सुखदेव सिंह

यह नायक परिवार से है। इन्हें पूर्व में इन्दिरा आवास मिला था, गाँव वालों ने चापाकल भी गड़वा दिया था; किन्तु इनके द्वारा इन्दिरा आवास के ईंट आदि को बेच दिया गया। इनका आधार कार्ड नहीं था। बच्ची की माँ ने मुझे बताया था कि बच्ची को बुखार था। खाने–पीने का दिक्कत था। राशन कार्ड बनना जरुरी है।

जूलयानी नायक वार्ड सदस्य

मुझे पता चला था कि बच्ची बीमार थी, बुखार था। मैंने भी कोइली देवी को चावल दिया था।

सुखेदव सिंह ग्रामीणः–

यह खाने–पीने वाला अनपढ़ परिवार है। यह पीते बहुत थे। कोइली देवी एक टैबलेट मुझे दिखाने आई थी, जिसे बेटी को देने कहा गया था। हमलोगों ने सुझाव दिया कि बच्ची को स्वास्थ्य उपकेन्द्र में ले जा कर दिखाये। उस ले भी गया था, किन्तु स्वास्थ्य उप केन्द्र बन्द था। राशन कार्ड तेतवा नायक पिता बूधान नायक के नाम से बना था, यही नाम हमें बताया गया था। पारा शिक्षक द्वारा **Net** से निकालकर दिया था। इसी आधार पर **Dealer** राशन दे रहा था। **E Pos** मशीन आने के बाद से राशन नहीं मिल रहा था।

बच्ची की बड़ी बहनः–

बच्ची का नाम संतोषी था। उसे बुखार आया था, हमलोग पीठ पर लाद कर स्वास्थ्य उपकेन्द्र दिनांकः– 27.09.2017 को ले गए थे, किन्तु वह बन्द था। ए0एन0एम0 नहीं थी। बच्ची पढ़ती नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी। विशुन बड़ाइक के यहाँ बकरी चराती थी। परिवार को खाने–पीने का बहुत दिक्कत था। माँ का तबियत खराब है, अस्पताल भर्ती कराने ले गया है।

सुजान मुड़ा सांसद प्रतिनिधिः–

बच्ची विशुन बड़ाइक के यहाँ बकरी चराती थी, वहीं भात खाती थी। बीमार पड़ने के बाद अपनी माँ के घर चली आई थी। इस क्षेत्र में यह परिवार नशा का सेवन करते थे। बीमार बच्ची को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया था, किन्तु नर्स उपस्थित नहीं थी। वह यदा–कदा ही गाँव में आती थी।

नारायण सिंह डॉक्टरः–

विशुन बड़ाइक मुझे 26 को बुलाया था। मैंने मलेरिया टेस्ट किया था, **Positive** निकला, कुछ **Jaundice** भी था। दवा भी दिये थे, दो दिनों तक दिये थे, पर सुझाव दिये थे कि आगे भी दिखा लो। मैं तीसरे दिन आया था तो पता चला कि बच्ची **Expire** कर गई है। विशुन बड़ाइक द्वारा मुझे 300.00 रु फीस भी दिया गया था। पहली बार मैंने बच्ची को विशुन बड़ाइक के यहाँ देखा था। यह डॉक्टर स्थानीय

Practioner था तथा उसके द्वारा **Pocket Diary** में तत्संबंधी इन्ट्रीज दिखाया गया, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।

मुखिया सुनीता डांग पतिअम्बा पंचायतः–

मुझे तो 7 तारीख को सूचना मिली थी। बच्ची का बुखार विशुन बड़ाइक के घर शुरु हुआ था, फिर वह अपने घर चली आई थी। इस परिवार के कार्ड रद्द किये जाने के बाद मैंने अन्नपूर्णा योजना से इन्हें चावल दिया था। स्वास्थ्य केन्द्र कभी–कभी ही खुला रहता था, पर मेरे द्वारा इस संबंध में किसी को नहीं कहा गया था।

विशुन बड़ाइकः–

डॉक्टर मेरे यहाँ आया था। बच्ची को बुखार था। वह मेरे यहाँ बकरी चराती थी। मैं उसे दोनों **Time** भात खिलाता था। डॉक्टर मलेरिया का जाँच किया था। फिर वह अपने घर चली गई थी, जहाँ वह मरी। मैंने डॉक्टर को 600.00 रु0 दिया था।

डीलर भोला साहूः–

मैं फरवरी माह तक ततरु नायक पिता गजा नायक के कार्ड पर उन्हें राशन दे रहा था, जो कि फरवरी माह में **E Pos** मशीन लगने के बाद तकनीकी कारणों से बन्द हो गया।

तदोपरान्त राज्य खाद्य आयोग की टीम प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलडेगा पहुँची, जहाँ कोइली देवी भर्ती थी। डॉक्टर से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि भर्ती के समय कुछ **Dehydration** था, जिसके लिये **Saline** चढ़ाया जा रहा था। किन्तु **Starvation** के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि ये सभी कुपोषित ही रहते हैं, कमजोरी तो था। टीम द्वारा पूछने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य केन्द्र के बन्द होने के संबंध में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं थी। बच्ची के मौत की सूचना प्राप्त होने पर मैंने परिवार को 30 किलो चावल भेजवाया था।

डॉक्टर ने बताया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कहने पर उनके द्वारा गाँव में **Ambulance** भेजा गया था, परनतु कोइली देवी को तारामणी साहू अपने साथ लाई थी। बाद में टीम को शाम में सूचना मिली कि कोइली देवी अस्पताल से घर वापस आ गई थी।

अस्पताल परिसर में टीम को एक स्थानीय कार्यकर्ता तारामणी साहू जिनके द्वारा अपने को भोजन का अधिकार अभियान से जुड़ी बताया गया से मुलाकात हुई। उनके द्वारा कहा गया कि कोइली देवी को उनके द्वारा लाकर स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया था। उन्होंने यह भी सूचना दी कि उनके द्वारा **दिनांकः– 21.08.2017** को उपायुक्त के जनता दरबार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में परिवार की दयनीय स्थिति एवं राशन कार्ड नहीं होने की सूचना दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्ची के मौत के बाद हमलोग गाँव में जाकर 30 किलो अनाज परिवार को दिये थे। इससे संबंधित मोबाइल पर उनके द्वारा एक चित्र भी दिखाया गया।

टीम के द्वारा अस्पताल में भर्ती कोइली देवी से बच्ची के मौत के संबंध में पूछताछ की। कोइली देवी ने बताया कि बच्ची भात मांग रही थी, किन्तु मेरे घर में भात नहीं था। अतः नहीं दे पाई।

बच्ची की बड़ी बहन गुड़िया जो अस्पताल में उपस्थित थी, ने बताया कि परिवार में खाने का बहुत दिक्कत था, राशन कार्ड नहीं था, अतः कई बार वह परिवार भूखा रह जाता था।

तदोपरान्त टीम द्वारा पतिअम्बा ग्राम के स्वास्थ्य उप केन्द्र के ए0एन0एम0 श्रीमती माला देवी से बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य उप केन्द्र हमेशा खुला रहता था, एवं 27 तारीख को मेरे यहाँ कोई नहीं आया था। मैंने बच्ची को पेड़ के पास उस दिन खड़े देखा था, वह मुझे बीमार नहीं लगी थी।

तदोपरान्त राज्य खाद्य आयोग की टीम द्वारा उपायुक्त सिमडेगा श्री मंजुनाथ भजन्त्री से मुलाकात की गई। उनके द्वारा बताया कि तारामणी साहू द्वारा उनके जनता दरबार में यह बात उठाई गई थी, किन्तु **Specific** नहीं था। मैंने उन्हें लिखित रुप से देने के लिये कहा था। भूख से मौत की खबर के प्रकाशन के बाद उनके स्तर से क्या कार्रवाई की गई, क्या जाँच आदि किया गया, पर उनके द्वारा कहा गया कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को जाँच दिया गया है। भूखमरी की गंभीरता को स्थिति के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ध्यान आकृष्ट किये जाने पर उपायुक्त ने एक **Fact Finding Team** जिसमें **सिविल सर्जन सिमडेगा**, **निदेशक ITDA** तथा **जिला आपूर्ति पदाधिकारी** थे गठित किया गया। यहां यह कहना उचित होगा कि जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में भूमिका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुपालन के अनुरुप नहीं रही।

इस तरह सभी गाँव वालों के पूछताछ के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि कोइली देवी के परिवार में राशन कार्ड के अभाव में राशन की अत्यन्त कमी थी, परन्तु बच्ची अन्यत्र भोजन करती थी, जिस कारण संभवतः बीमारी की समुचित इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हुई।

यह भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि राज्य सरकार के स्तर से राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के निदेश पर यह परिवार राशन से लंबे समय से वंचित रहा, जिसके कारण उनके समक्ष यदा–कदा, भूखमरी की स्थिति सामने आती रही तथा मजदूरी एवं मांगने के आधार पर उनका गुजारा होता था।

अन्ततः टीम की यह धारणा है कि निम्न बिन्दुओं पर राज्य खाद्य आयोग कार्रवाई कर सकती है।

1. विभाग से यह पूछा जाय कि किस **Executive** आदेश के आधार पर राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की कार्रवाई की गई तथा यह भी सूचना दें कि अब तक ऐसे कितने मामले हैं (प्रतिशत समेत), जिनकी स्थिति इस मामले से मिलती–जुलती है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है (24 मार्च, 2014 का) कि "किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जायेगा। सभी प्राधिकरण को यह निदेश दिया जाता है कि वे फार्म सर्कयूलर में और अन्य ऐसी चीजों में यह बदलाव लायें कि आधार नंबर अनिवार्य न हो ताकि कोर्ट द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का पालन किया जा सके।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति संलग्न है।

2. जिला के जिन स्थानीय कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई, उन पर कार्रवाई अपेक्षित है।

(81)

3. पीड़ित परिवार को राज्य सरकार के स्तर से राशन कार्ड निर्गत करने की लापरवाही हेतु उचित मुआवजा दिया जाय।

20.10.17

(वीणा मिश्रा)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।

(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।

(हलधर महतो)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार पर अब तक दिए गए आदेशों के अंश

23 सितम्बर 2013

[जब तक संवैधानिक पीठ इस बारे में कोइ अंतिम सुनवाई न करे तब तक] " किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं होने के कारण परेशानी न हो भले ही किसी प्राधिकरण द्वारा इसे अनिवार्य करने का कोइ आदेश जारी किया गया हो "

24 मार्च 2014

".....किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा. सभी प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे फॉर्म्स, सर्कुलर्स और अन्य ऐसी चीज़ों में ऐसा बदलाव लायें कि आधार नंबर अनिवार्य न हो ताकि कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश का पालन किया जा सके."

16 मार्च 2015

"....हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार तथा उसके सभी अधिकारी कोर्ट द्वारा 23 सितम्बर 2013 को पारित आदेश का पालन करेंगे"

11 अगस्त 2015

1. "भारत सरकार इलेक्ट्रौनिक और प्रिंट मीडिया ,जिसमे रेडियों और टेलीविजन शामिल हैं, द्वारा इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी कि एक नागरिक के लिए आधार कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है "
2. किसी भी सेवा के लाभ के लिए आधार कार्ड प्रस्तूत करना शर्त नहीं होगी
3. [पी.डी.एस और एल.पी.जी में छुट] " जवाबदाता द्वारा पी.डी.एस योजना खासकर खाद्यान्न इत्यादि और इंधन तेल जैसे केरोसीन के वितरण को छोड़कर किसी अन्य योजना के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा
4. आधार कार्ड निर्गत करते वक़्त भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण [**UIDAI**] द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में प्राप्त सूचना का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं होगा, ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर जिसके तहकीकात के लिए कोर्ट द्वारा कोइ आदेश दिया गया हो.

15 अक्तूबर 2015

[नरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम,जन धन योजना, ई.पी.एफ.ओ- में भी आधार इस्तेमाल की छुट]

हम भारत सरकार को यह आदेश देते हैं कि वह इस कोर्ट द्वारा 23/9/2013 से पारित आदेशों का कड़ाई से पालन करे

हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि आधार कार्ड योजना पूरी तरह से वैकल्पिक है और इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कोर्ट द्वारा इस बारे में कोइ अंतिम निर्णय नहीं दिया जाए

14 सितम्बर 2016

[15 अक्टूबर 2015 के आदेश को दोहराते हुए कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी किये गए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें विभिन्न छात्रवृतियों के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है]

अंतिम आदेश खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधार अधिनयम लागू होने के बावजूद पुराने आदेश को दोहराता है.